

विवाह हेतु अनुदान के अन्तर्गत आर्थिक सहायता (अनुदान) स्वीकृति के लिए आवेदन पत्र

सर्वप्रथम अपने इन्टरनेट ब्राउजर में [www. Shadianudan.upsdc.gov.in](http://www.Shadianudan.upsdc.gov.in) टाइप करें।

- विवाह हेतु अनुदान के अन्तर्गत आर्थिक सहायता अनुदान स्वीकृति के लिए आवेदन पत्र पर क्लिक करें
- सभी प्रविष्टियां अंग्रेजी भाषा में भरी जायेगी।
- आवेदन पत्र में आवेदन से सम्बन्धित प्रविष्टियों को दिये गये पोर्टल पर भरते हुए आवेदक के फोटो , हस्ताक्षर/अगूँठा निशान पहचान पत्र की छाया प्रति , बैंक पासबुक की छाया प्रति , विवाह का प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति तथा की आयु से सम्बन्धित प्रमाण पत्र यथा परिवार कुटुम्ब रजिस्टर की प्रमाणित छाया प्रति/ शैक्षिक रिकार्ड जिसमें जन्म तिथि अंकित हो को अपलोड करना सुनिश्चित करे।
- आश्रित लाभार्थी का फोटो तथा हस्ताक्षर /अगूँठा निशान केवल Jpeg file जो 20 KB से ज्यादा न हो को अपलोड किया जायेगा।
- पहचान पत्र , बैंक पास बुक, आय प्रमाण पत्र , जाति प्रमाण पत्र , शादी प्रमाण पत्र केवल pdf file जो 40 kb से ज्यादा न हो को अपलोड किया जायेगा।
- आवेदक के आवेदन पत्र की उक्तानुसार सही प्रविष्ट भरकर संरक्षित कराने के उपरान्त फाइनल प्रिन्ट लिया जायेगा तथा उसके साथ समस्त संलग्नकों की सत्यापित छाया प्रति के साथ अनिवार्यतः तीस कार्य दिवस के अन्दर जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा कर प्राप्ति रसीद प्राप्त की जायेगी।
- आवेदक द्वारा केवल राष्ट्रीयकृत बैंक के खाते ही मान्य होंगे किसी भी जिला सहकारी बैंक का खाता पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर स्वीकृति नहीं किया जायेगा यदि आवेदक द्वारा जिला सहकारी बैंक के खाते इस योजना में दिए जाते हैं तो ऐसे आवेदन को जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा अस्वीकृति कर दिया जायेगा।
- इस योजना में वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, एवं विधवा पेंशन लाभार्थियों लाभार्थियों हेतु आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है इन योजना के लाभार्थियों का अपना रजिस्ट्रेशन नम्बर भरना अनिवार्य है
- योजना में विधवा एवं विकलांग पेशन लाभार्थियों को वरीयता प्रदान की जायेगी ।
- आवेदन केवल शादी के दिनांक 90 दिन पहले अथवा 90 दिन बाद तक ही स्वीकार्य है।

- पुत्री की उम्र प्रमाण पत्र में परिवार रजिस्टर की नकल /शिक्षा सम्बन्धित प्रमाण पत्र/ मतदाता पहचान प्रमाण पत्र /आधार कार्ड की छायाप्रति अथवा चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र मान्य है
- उपरोक्त उम्र प्रमाण पत्र उपलब्ध न होने की दशा में पुत्री की उम्र का सत्यापन नीचे दिए गए प्रारूप में ग्राम पंचायत अधिकारी /खण्ड विकास अधिकारी से कराकर संलग्न करें।

स्थान

आवेदक के पूर्णहस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

प्रमाण पत्र क्रमांक

प्रमाणित किया जाता है कि कु0पुत्री श्री.....

.....पताकी आयु विवाह की आयु

विवाह की तिथि को सत्यापन हेतु उपलब्ध अभिलेख साक्ष्यों के अनुसार 18 वर्ष या उससे अधिक है ।

हस्ताक्षर ग्रामपंचायत अधिकारी

ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर एवं मुहर

नाम.....

नाम.....

तिथि.....

तिथि.....

दिनांक

प्रति हस्ताक्षर मुहर सहित

स्थान.

खण्ड विकास अधिकारी